

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक संख्या ८१९४३ / बार्विपरियोग / कैम्प / २०१९-२०,

दिनांक : २७ मार्च, २०२०

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत ही हैं कि COVID-19 (कोरोना-वायरस) नामक एक नया सॉस/श्वसन संक्रमण रोग दुनिया भर में फैल रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इस संक्रमण के मामले दर्ज किये जा रहे हैं और सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में इसे फैलने से रोकने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका हेतु जो दिशा-निर्देश (प्रति संलग्न) निर्गत किये गये हैं, उसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें और जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अपने स्तर से अवगत कराते हुए संलग्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

२७-३-२०
(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यालय।

२७-३-२०
(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक